

विशेष विवरण

20/3/2017


आज्ञा

का कार्यवाही

पनावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रोकरा सरकार उपस्थित। तस्वीर/प्रतिवादी संख्या 1 व उनके अधिवक्ता अनुरूपित रुक रुक कर बार-बार आवाज लगाई जाने पर प्रार्थी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। नाथ तहसीलदार, कोटपुतली की ओर से यह भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मातादीन पुत्र सुगना जाति धानका के सम्बन्ध में मौके पर पहुँचकर जानकायी करने पर आम लोगों ने मातादीन पुत्र सुगना जाति वमार के ही गांव बंकीका नामल में निवास करना बताया। साथ ही प्रार्थी की ओर से प्रोकरा सरकार (नाथ तहसीलदार, कोटपुतली) द्वारा रिपोर्ट एवं मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उभयपक्षों को सुना गया। प्रोकरा सरकार (नाथ तहसीलदार, कोटपुतली) ने अपने प्रकरण में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि आराजी विवादस्पद साबिक आराजी खसरा नम्बर 20 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 01, मातादीन पुत्र सुगना धानका निवासी नामल बंकीका तहसील कोटपुतली जिला जयपुर को प्र-आवदन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27/02/1976 को आवदन की गयी थी। परन्तु आवंटी द्वारा उसके अलाउमेन्ट की गयी भूमि को कभी काबिज होकर काशत नहीं की। जबकि प्र-आवदन नियमों के अनुसरण में आवदन की गयी भूमि को तीन वर्ष में काबिज काशत की जाना आवश्यक है। आवदन नियमों की पालना नहीं होने के कारण आवंटी के हक में प्रोकरा/खतौदारी स्वीकार नहीं की जा सकने के कारण उसका नाम खतौदारी/खतौदारी नहीं किया जा सका। यानि आवदन स्वतः ही निरस्त हो गया। तदुपरोक्त उक्त आराजीयत के मौके पर खतौदारी होने तथा खतौदारी में खतौदारी पर आराजीयत का कोई कब्जा काशत नहीं है, बल्कि तस्वीरी प्रार्थी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी गयी। आज भी उक्त आराजीयत तस्वीरी पर आवंटी प्रार्थी संख्या का कोई कब्जा काशत नहीं है, बल्कि तस्वीरी प्रार्थी संख्या 2 का ही रिपोर्ट में नाम दर्ज है तथा कब्जा है, जो मौका रिपोर्ट दिनांक 10/02/2017 से भी प्रमाणित है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर प्रार्थी संख्या 1 के हक है, में किया गया आवदन आदेश दिनांक 27/2/1976 निरस्त करवाया जावे।

प्रार्थी संख्या एक की ओर से पूर्व में प्रस्तुत अपने जवाब में अपील में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए अभिकथन किया गया है कि आवंटी को आवदन की गयी भूमि का कब्जा सम्पन्न होने के पश्चात् वह लगातार काबिज काशत है। प्रार्थी ने कोई आवदन शर्तों की कोई अवहेलना नहीं की है। बन्दोबस्त की कार्यवाही चालू होने की वजह से खतौदारी अभिलेख बन्दोबस्त विभाग में चला गया और इसके बाद सन् 1980 में यह ग्राम तहसील बहराइत जिला अलवर में सम्मिलित हो जाने के कारण रिपोर्ट में अलादी के नाम खतौदारी दर्ज नहीं हो पायी, बल्कि सिवयचक ही दर्ज रह गयी और प्रार्थी की कब्र काशत की कब्र भी प्रार्थी, बल्कि सिवयचक ही दर्ज रह मानकर शोका को बंध दी गयी। खतौदारी विवादस्पद के खतौदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। खतौदारी रिपोर्ट में खतौदारी दर्ज करने का पूर्ण दायित्व स्वयं प्रार्थी का था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। प्रार्थी (लखतौदारी तहसीलदार कोटपुतली) द्वारा नामल रूप से कार्यवाही की जाकर पूर्व का आवदन निरस्त करवाये विना पुनः नामल रूप से आवदन की

गयी थीं से बना बदखल कय अलादी क हक न पावना लखना
 आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976 को निरस्त किये बिना तथा अप्रार्थी
 को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तरतीबी अप्रार्थी रिफो
 को पुनः किया गया आवंटन आदेश अप्रार्थी (आवृत्ति) के हक हककों के प्रति
 शून्य एवं बेअसर है। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज योग्य
 है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे।
 विद्वान अधिवक्ता तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 ने भी अपनी बहस में
 अपने जवाब में वर्णित अभिकथनों को दौहयते हुए निवेदन किया कि तरतीबी
 अप्रार्थी संख्या 2 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ ग्राम केशवाना गुरजर तहसील
 काटपूतली में दिनांक 01 जनवरी 1993 को कुल रकबा 178.42 हेक्टर भूमि
 का आवंटन किया गया था, जिसमें प्रथमतः प्रकरण में वर्णित आराजी
 विवादप्रद ख.नं. 27/22.36 बंजल भी सम्मिलित है। तरतीबी अप्रार्थी संख्या
 2 रीको को आवंटन की गयी उक्त समस्त भूमि की प्रीमियम राशि रूपये
 12698932/- का तहसीलदार काटपूतली को दिनांक 16/8/1994 को
 भूगतान करने पर उनके द्वारा दिनांक 15/9/1994 को उक्त भूमि का
 भौतिक रूप से कब्जा अप्रार्थी संख्या 2 रीको को सम्पन्नवा दिया गया।
 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एसबी सिविल रिट पीटिशन
 संख्या 3374/2005 में पारित निर्णय दिनांक 05/5/2006 की पालना में
 कलित आवृत्ति/अतिक्रमियों के कृते संरचनाएं इत्यादि के संभावना की राशि
 रु. 506674/- का भूगतान भी बैंक संख्या 321763 दिनांक 30/6/2006
 को सम्बन्धित हितवद्द व्यक्तियों को किया जावे, के लिए उपखण्ड अधिकारी
 काटपूतली में जमा करवा दिया गया है। अब अप्रार्थी संख्या 01 का उक्त
 आराजीयात से कोई लार्ज क वास्ता नहीं है। मौके पर तरतीबी अप्रार्थी संख्या
 2 रीको को भौतिक रूप से कब्जा है, जो रिफाई व मौके की स्थिति से भी
 प्रमाणित है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 के हक में किया गया भू-आवंटन
 आदेश तरतीबी अप्रार्थी संख्या 02 के हक हककों के प्रति शून्य एवं बेअसर
 होने निरस्त किये जाने योग्य है।
 हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं
 रिफाई व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। विवादित साबिक आराजी
 खसरा नम्बर 20 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा बाक मौजा केशवाना गुरजर अप्रार्थी
 संख्या 01 मातादीन पुत्र सुगना धानका निवासी नागल बंधीका तहसील
 काटपूतली जिला जयपुर को आवंटन होने नकल भू-आवंटन सलाहकार
 समिति के आदेश दिनांक 27/2/1976 से सिद्ध होता है। परन्तु उक्त
 आवंटन आदेशों की शर्तों की पालना की जाने के सम्बन्ध में आवृत्ति/अप्रार्थी
 संख्या 01 की ओर से कोई रिफाई साहदत प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा ना
 ही उक्त विवादित आराजीयात पर अपने भौतिक रूप से कब्जे काहल को
 साबित करवाया है। राजस्व अभिलेख में भी अलादी अप्रार्थी संख्या 01 के
 नाम में खारिजी/खारिजी दर्ज नहीं है। नाथब तहसीलदार काटपूतली
 द्वारा प्रस्तुत रिफाई एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 10/2/2017 से भी आराजी
 विवादप्रद प्रार्थी संख्या 1 के बजाय तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 का नाम
 राजस्व रिफाई में दर्ज होने तथा उन्ही का भौतिक रूप से कब्जा होने
 जाहिर होता है तथा उनकी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी संख्या एक मातादीन
 पुत्र सुगना जालि धानका नाम के व्यक्ति के बजाये उक्त नाम का बभार
 आवंटन का सदस्य गांव में रहना बताया है, जिससे भी अपीलार्थीन भू-आवंटन
 आदेश उचितपूर्ण होना प्रतीत होता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के हक में
 किया गया आक्षेपित भू आवंटन आदेश मात्र एक कमाजी अलादीन होने से
 स्वतः ही खारिज योग्य है। दूसरी ओर उक्त आराजी विवादप्रद मौके पर
 खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायक दर्ज होने की वजह
 से तरतीबी अप्रार्थी संख्या 2 के हक में अलादीन किया गया है तथा
 नियमानुसार प्रीमियम की राशि जमा करवाने के बाद उन्हें भौतिक रूप से
 मौके पर कब्जा सम्पन्नवाया गया है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम दर्ज
 किया गया है, जो आज भी बदस्तूर मौजूद है। ऐसी परिस्थिती में अलादी
 अप्रार्थी संख्या 01 के उक्त आराजी विवाद प्रस्त में कोई हक हककों
 खारिजी उक्त वक्त नहीं होवे है।





निर्णय आज दिनांक 23/3/2017 को लिखवाया जाकर सरे इजलास
सुनाया गया ।

फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र/अपील अन्तर्गत दफा 14(4) में
राजस्व अधिनियम स्वीकार की जाकर ग्राम केशवाणा गुरार में स्थित साबिक
आ.ख.नं. 20 से बरामद हुये हाल खसरा नम्बर 27 रकबा 22.36 हेक्टर में से
अप्रार्थी संख्या 01 के हक में अलाटमेंट किये गये रकबे की सीमा तक के मू
आवंटन सलाहकार समिति का भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27/2/1976
निरस्त किया जाता है। पत्रावली फॉसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं
बाद तकमील जाणा दाखिल दफतर हो।